बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :–ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांकः– 08 अक्टूबर, 2025

बिहार चुनाव के दौरान भ्रामक खबरों पर कड़ी नजर रखने और सख्त कार्रवाई का निर्देश
सोशल मीडिया पर रहेगी विशेष नजर

बिहार विधान सभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उपनिर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग एवं महानिदेशक मीडिया श्री आशीष गोयल ने दिनांक 08.10.2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी, बिहार श्री कुंदन कृष्णन तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

बैठक में वरीय उप निर्वाचन आयुक्त ने मीडिया की प्रभावी निगरानी पर विशेष जोर दिया ताकि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली भ्रामक खबरों और अफवाहों को रोका जा सके। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और ऐसी किसी भी सूचना के प्रसार पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी, समय पर जरूरी खबरों का खंडन, भ्रामक व अफवाह फैलाने वाली खबरों पर कड़ी कार्रवाई करने के निदेश दिए गए। आयोग इस बार जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि आम मतदाताओं को भ्रामक और गलत समाचारों से बचाया जाए। साथ ही आयोग ने आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने वालों पर भी नजर रखने के निदेश दिये है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य बिहार चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण बनाना है और इस दिशा में गलत सूचनाओं से मतदाताओं को बचाना भी शामिल है। सभी अधिकारियों को चुनाव के दौरान मीडिया एवं सोशल मीडिया की निगरानी सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने के लिए तत्पर रहने को कहा गया है। इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों ने फेक न्यूज काउंटर मैकेनिज्म पर बिहार में किये जा रहे कार्यो की विस्तार से जानकारी आयोग के वरीय पदाधिकारियों को दी। उक्त बैठक में डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अमित कुमार पाण्डेय, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सी.एच., अपर सचिव श्री माधव कुमार सिंह, भारत निर्वाचन आयोग में उप–निदेशक श्री पी. पवन एवं सहायक निदेशक श्री अपूर्व कुमार सिंह ने सहभागिता की।

बैलट पेपर का रंगीन मुद्रण–पिछले छह महीनों में निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा की गई 28 पहलों की श्रृंखला के तहत अब से उम्मीदवारों के फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के मतपत्र (Ballot Paper) पर रंगीन रूप में मुद्रित किये जाएंगे। बेहतर दृश्यता के लिए उम्मीदवार के चेहरे का हिस्सा फोटो के तीन–चौथाई भाग में होगा।
उम्मीदवारों/NOTA के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में मुद्रित किए जाएंगे। स्पष्टता के लिए फ़ॉन्ट आकार 30 और बोल्ड रहेगा। समानता सुनिश्चित करने के लिये सभी उम्मीदवारों/NOTA के नाम एक ही फ़ॉन्ट प्रकार और पर्याप्त बड़े फ़ॉन्ट आकार में मुद्रित किये जाएंगे ताकि वे आसानी से पढ़े जा सकें।
EVM मतपत्र 70 GSM कागज पर मुद्रित किये जाएंगे। विधानसभा चुनावों के लिये निर्दिष्ट RGB value पर आधारित गुलाबी रंग के कागज का उपयोग किया जाएगा। उन्नत EVM मतपत्रों का उपयोग आगामी चुनावों से किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी।

CAPF की प्रतिनियुक्ति –विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर Area Domination के तहत मतदाताओं के आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए पुनः 500 कम्पनी CAPF की प्रतिनियुक्ति की गयी है। विदित हो कि पिछले सप्ताह भी 500 कम्पनी CAPF की प्रतिनियुक्ति विभिन्न जिलों में की गई थी।

****